न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 69 / 2023 FSSA

1. सरकार जरिये श्री मुकेश प्रजापत खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

—आवेदक—

बनाम

1. श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री दीपचन्द खण्डेलवाल
   एफबीओ मैसर्सः—चिराग ट्रेडर्स, पुरानी अनाज मण्डी, बांदीकुई जिला दौसा।
2. श्री सुन्दरम गोयल पुत्र श्री घनश्याम गोयल
   एफबीओ मैसर्सः— सुन्दरम ट्रेडर्स, ठण्डी मन्दिर के पास, रामगढ अलवर।
3. श्री विष्णु कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार
   एफबीओ मैसर्सः— गिरधर मिल्क फूड प्रोडक्ट, प्लाट नं. 6—7 किरण कुंज, अनोखा गांव के पास, होटल सीकर रोड, माचेडा जयपुर।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री प्रमेन्द्र सिंह तंवर प्रतिनिधि अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 उपस्थित।

—: आदेश :—

दिनांकः— 11.10.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश प्रजापत ने दिनांक 12.03.2023 को दोपहर 02.15 बजे मैसर्स चिराग ट्रेडर्स, पुरानी अनाज मण्डी, बांदीकुई जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर मालिक श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री दीपचन्द खण्डेलवाल उपस्थित मिला। जिसने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय फर्म पर 20 पैकिट 449 ग्राम पैकिंग में पैक घी श्री मधुर रतन ब्रांड (Ghee shree madhur ratan brand) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमे से नमूने की जॉच हेतु 4 मूल पैक 449 ग्राम पैकिंग में पैकघी श्री मधुर रतन ब्रांड (Ghee shree madhur ratan brand) खरीदा। जिसकी कीमत 1000 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा घी श्री मधुर रतन ब्रांड (Ghee shree madhur ratan brand) के एक—एक पैकिट 449 ग्राम प्रति के चार नमूने तैयार करके चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर नमूनों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—3230 गोंद से चिपकाकर नमूनों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर नमूनों को चार—चार जगह चपडी से सील मोहर कर नमूनों पर एफबीओ(विक्रेता) गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद भाग एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 13.03.2023 को खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द भाग व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील कर स्वयं द्वारा दिनांक 13.03.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद भाग व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 13.03.2023 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाये।

उक्त खाद्य पदार्थ घी श्री मधुर रतन ब्रांड **(Ghee shree madhur ratan brand)** का नमूना खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./310/एक्ट/2023/332 दिनांक 24.03. 2023 के अनुसार अमानक स्तर **(SubStandard)** एवं मिथ्याछाप **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से प्रतिनिधि श्री प्रमेन्द्र सिंह तंवर द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./310/एक्ट/2023/332 दिनांक 24.03.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी श्री मधुर रतन ब्रांड **(Ghee shree madhur ratan brand)** के नमूने की जांच में **B.R. Reading, Iodine Value & Polenske Value** तय मानको से अधिक पाये जाने तथा **Reichert-Meissl Value** तय मानको से कम पाये जाने एवं खाद्य पदार्थ घी की फैटी एसिड प्रोफाइल तय मानको के अन्तर्गत नहीं पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक **(SubStandard)** स्तर का पाया गया है। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर सोडियम कन्टेन्ट की मात्रा अंकित नहीं होने के कारण **FS&S(Labelling & Display Regulations 2020** के **Regulation Number 2.5.(3)(D)&2.5(10)** का उल्लंघन होने के कारण यह नमूना मिथ्याछाप **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा उक्त अमानक **(SubStandard)** एवं मिथ्याछाप **(Misbrand)** स्तर के खाद्य पदार्थ का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26(2)**(II)** का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 की ओर से प्रतिनिधि श्री प्रमेन्द्र सिंह तंवर द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि एम एस गिरधर मिल्क फूड प्रोडक्ट प्लाट नम्बर 6, 7 किरण कुन्ज अनोखा गांव सीकर रोड माचेडा जयपुर गिरधर मिल्क फूड प्रोडक्ट का ब्राण्ड नेम श्री मधु रतन घी मिस मैच पाया गया था। जो कि श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री दीपचन्द खण्डेलवाल चिराग ट्रेडर्स पुरानी अनाज मण्डी बांदीकुई जिला दौसा को यह मधुर रतन घी श्री सुन्दरम गोयल पुत्र श्री घनश्याम गोयल सुन्दरम ट्रेडर्स ठण्डी मन्दिर के पास रामगढ अलवर के द्वारा बांदीकुई चिराग ट्रेडर्स राजेश कुमार को सप्लाई किया गया था। इस प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जावे। आगे के लिये फूड सेफ्टी नियमों को ध्यान में रखते हुये नियमानुसार कार्य किया जायेगा और इस प्रकार की अनियमितता आगे कभी नहीं मिलेगी।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./310/एक्ट/2023/332 दिनांक 24.03.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी श्री मधुर रतन ब्रांड **(Ghee shree madhur ratan brand)** का नमूना अवमानक **(SubStandard)** एवं मिथ्याछाप **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अवमानक **(SubStandard)** एवं मिथ्याछाप **(Misbrand)** स्तर का खाद्य पदार्थ घी श्री मधुर रतन ब्रांड **(Ghee shree madhur ratan brand)** का विक्रय किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 व 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

प्रकरण संख्या : 69 / 2023 FSSA

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अवमानक **(SubStandard)** एवं मिथ्याछाप **(Misbrand)** स्तर का खाद्य पदार्थ घी श्री मधुर रतन ब्रांड **(Ghee shree madhur ratan brand)** का विक्रय किये जाने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 श्री विष्णु कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार एफबीओ मैसर्सः– गिरधर मिल्क फूड प्रोडक्ट, प्लाट नं. 6–7 किरण कुंज, अनोखा गांव के पास, होटल सीकर रोड, माचेडा जयपुर पर 20000 / –(अक्षरे बीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 11.10.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / FSSA/ दिनांकः– 11.10.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री दीपचन्द खण्डेलवाल
   एफबीओ मैसर्सः–चिराग ट्रेडर्स, पुरानी अनाज मण्डी, बांदीकुई जिला दौसा।
4. श्री सुन्दरम गोयल पुत्र श्री घनश्याम गोयल
   एफबीओ मैसर्सः– सुन्दरम ट्रेडर्स, ठण्डी मन्दिर के पास, रामगढ अलवर।
5. श्री विष्णु कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार
   एफबीओ मैसर्सः– गिरधर मिल्क फूड प्रोडक्ट, प्लाट नं. 6–7 किरण कुंज, अनोखा गांव के पास, होटल सीकर रोड, माचेडा जयपुर।

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा